भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1272
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि कार्यबल में वृद्धि

†1272. श्री गौरव गोगोईः
श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः
श्री तनुज पुनियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कृषि क्षेत्र, में रोजगार, वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यबल का 46.1% है, में हुई वृद्धि के आकलन से संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त प्रवृत्ति के पीछे प्रमुख कारक क्या हैं;
(ख) कृषि क्षेत्र में वापस लौटने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से भूमिहीन और छोटे किसानों को ऋण, प्रशिक्षण और अवसंरचना संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बढ़ते श्रमबल के कारण भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं;
(घ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और कृषि प्रसंस्करण तथा मूल्य-श्रृंखला विकास को एकीकृत करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) कृषि क्षेत्र में अत्यधिक भार को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु सरकार की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार ने ऋण, प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच के संदर्भ में छोटे किसानों सहित किसानों के लिए देश में कृषि क्षेत्र के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों को अपनाया और कार्यान्वित किया है:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता,
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई),
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
4. ब्याज छूट योजना
5. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण,
6. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना,
7. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना,
8. प्रति बूंद अधिक फसल,
9. सूक्ष्म सिंचाई कोष,
10. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना,
11. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम),
12. कृषि यंत्रीकरण,
13. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना,
14. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना,
15. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल का शुभारंभ,
16. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ),
17. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत
18. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच),
19. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम
21. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) आदि

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादन दक्षता लाने का लक्ष्य रखा है। छोटे और विखंडित भूमि जोतों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए सतत खेती पद्धतियाँ, प्रोटोटाइप एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल और जैविक खेती पैकेज फसल प्रणाली विकसित की गई हैं। विकसित मॉडल उर्वरकों से संबंधित इनपुट की लागत में कमी के साथ किसानों की आय में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा, कृषि एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें भूमिहीन किसानों सहित किसानों के कल्याण के लिए कृषि योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती हैं और भारत सरकार भी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इन प्रयासों को पूरा करती है। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) किसानों के लिए (ऑन एवं ऑफ कैंपस) 'कृषि के महत्व' और 'उन्नत कृषि पद्धतियों' पर कृषि परीक्षण के माध्यम से अनेक प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

सरकार देश में कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य एकल खिड़की कृषि ज्ञान, संसाधन एवं क्षमता विकास केन्द्र के रूप में कार्य करना है। अपनी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, केवीके किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (फसल उत्पादन, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, गृह विज्ञान/महिला सशक्तिकरण, कृषि इंजीनियरिंग, पौध संरक्षण, मत्स्य पालन, साइट पर इनपुट का उत्पादन, कृषि वानिकी) के विभिन्न पहलुओं पर उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

सरकार सतत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं जैविक खेती में जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण एवं विपणन तथा फसलोपरान्त प्रबंधन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना का अभिन्न अंग है। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण से प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक और आवश्यकता आधारित रासायनिक नियंत्रण उपाय शामिल हैं। 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र किसानों को आईपीएम पर प्रशिक्षण देते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देती है।

देश में वर्ष 2014-15 से एनएमएसए के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना को एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरएडी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित है। अब, इस योजना को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के मृदा स्वास्थ्य घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एग्री इंफ्रा फंड) कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करके गांवों में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार करने में मदद करता है। यह फंड आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और विभिन्न कृषि-आधारित क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि को बदलना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है। यह किसानों, एफपीओ और स्टार्ट-अप के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

******